रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएंडए/भर्ती/अनुबंध/सीएसई कैंटीन/2020/25

दिनांक 07 मई 2024

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल),भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी,**सीएसएल में अनुबंध के आधार पर सामान्य कामगार (कैंटीन)** के पद को भरने केलिए भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है ।

क. शैक्षिक योग्यता और कार्य अपेक्षाएं :-

तालिका 1

शैक्षिक योग्यता **अनिवार्य:** सातवीं कक्षा में उत्तीर्ण। **वांछनीय:** क) सरकारी खाद्य शिल्प संस्थान से खाद्य उत्पादन/ खाद्य और पेय पदार्थ सेवा में एक साल का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम/ केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से खानपान और रेस्तरां प्रबंधन में दो साल की व्यावसायिक प्रमाणपत्र। ख) मलयालम का ज्ञान। *भोजन तैयार करने या परोसने का अनुभव वांछनीय है।* **कार्य अपेक्षाएं:** सीएसएल में कर्मचारियों के कैंटीन में खाद्य पदार्थों की तैयारी और आपूर्ति, बर्तनों, फर्नीचर, इमारतों आदि की सफाई और इसी तरह के अन्य कार्य, समुद्री परीक्षणों के दौरान जलयानों पर और संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी/ पार्यवेक्षकों द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य। इस काम में निर्माणाधीन या मरम्मत के तहत जलयानों पर चाय और नाश्ता परोसने केलिए सीढियाँ चढना, गोदी और सीमित क्षेत्रों में आवाजाही शामिल है। कैंटीन में काम कई शिफ्टों में किया जाता है, जिसमें शाम 7 बजे के बाद रात का समय भी शामिल है, और केवल पुरूष उम्मीदवारों को ही आवेदन करना है।

ख. महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत	**: 08 मई 2024**
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	**: 22 मई 2024**

ग. रिक्तियों की सं.और आरक्षण :

तालिका 2

अनारक्षित	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल
7	7	1	**15**

क) रिक्तियों की संख्या बढाने /घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

घ. अनुबंध की अवधि :

क) उपरोक्त पद अस्थायी प्रकृति का हैं और परियोजना की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत निष्पादन के अधीन **अधिकतम तीन साल की अवधि** केलिए हैं ।

ङ. पारिश्रमिक :

क) पद केलिए पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 3

अनुबंध अवधि	समेकित वेतन (प्रति माह)	काम के अतिरिक्त घंटों केलिए मुआवज़ा (प्रति माह)
प्रथमवर्ष	₹20,200/-	₹5,050/-
द्वितीय वर्ष	₹20,800/-	₹5,200/-
तृतीय वर्ष	₹21,500/-	₹5,380/-

ख) उपरोक्त के अलावा, वैधानिक ईएसआई और ईपीएफ लाभ, जैसा लागू हो, प्रदान किया जाएगा।

च. आयु :

क) निर्धारित उच्चतम आयु सीमा **दिनांक 22 मई 2024** को **30 वर्ष से अधिक न हो**, यानी आवदेकों का जन्म **दिनांक 23 मई 1994** को या उसके बाद होना चाहिए ।

ख) अन्य पिछडे वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों केलिए आरक्षित पदों केलिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

ग) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों केलिएअधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

छ. <u>चयन की विधिः</u>

क) चयन की विधि **लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से होगी जो 100 अंकों का होगा** और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अंक दिए जाएंगे :-

लिखित परीक्षा	**– 20 अंक (60 मिनट की अवधि)**
प्रायोगिक परीक्षा	**– 80 अंक**
कुल	**– 100अंक**

ख) **लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं** केलिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार हैं :-
अनारक्षित पदों और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों केलिए– कुल अंकों का 50 %
अ.पि.व उम्मीदवारों के लिए. – केवल अ.पि.व केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए कुल अंकों का 45%

ग) परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर, कट ऑफ में छूट देने या परीक्षा में उच्च कट ऑफ तय करने का अधिकार सीएसएल को है। उम्मीदवारों की अपर्याप्त संख्या के मामले में कट ऑफ में छूट दी जा सकती है और उम्मीदवारों की संख्या 1:6 के अनुपात से अधिक होने पर कट ऑफ को बढाया जा सकता है।

घ) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल के पास आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार है और केवल ऐसे लघुसूचीगत उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

घ) प्रमाणपत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को केवल लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा सीएसएल, कोच्ची में आयोजित की जाएगी।

घ) पद केलिए रैंक सूची उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी । यदि एक से अधिक उम्मीदवार द्वारा समान कुल अंक प्राप्त किए जाते हैं तो आयु में वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

ज. <u>शर्तें:</u>

क) <u>आरक्षण</u>

i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे ।

ii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी *वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगा:-

- जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और
- उप- विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।

iii) यदि आवेदक अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी *वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र* प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों केलिए लागू रियायतों या छूटों केलिए विचार नहीं किया जाएगा।

ख) योग्यता

i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग) आवेदन शुल्क :

i) **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग आदि) का उपयोग करके ₹ 200/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए,** जिसे **दिनांक 08 मई 2024 से 22 मई 2024** तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। **भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।** उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

ङ) <u>आवेदन कैसे करें</u>

i) **आवेदकों को वेबसाइट** www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ->सीएसएल, कोच्ची) पर जाकर** ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले **लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू** को पढना चाहिए। आवेदन के दो चरण होते हैं – **एक बार पंजीकरण और लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना ।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।

ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ->सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से दिनांक 08 मई 2024 से 22 मई 2024 तक** प्राप्त की जा सकती है । **<u>सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।</u>**

iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है । ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा । किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।

iv) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति **" प्रगति में "** के रूप में (इन प्रोसस) दिखाई जाएगी । आवेदन की प्रस्तुति के बाद ,उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **" प्रगति में "** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है । <u>आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।</u>

v) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को**

अपने पास रखना चाहिए । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी । ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए ।

vi) ***आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है ।***

vii) वेबसाइट **दिनांक 08 मई 2024** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **22 मई 2024** है । अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें । ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है ।***

(च) <u>सामान्य</u>

i) ***आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।***

i) जो आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें **सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/ बुक/ पेंशन भुगतान आदेश** प्रस्तुत करना चाहिए।

ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और

(i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

(iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।

ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

घ) कार्मिक, जो अप्रैल14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।

iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.inके ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल द्वारा किसी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया

जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

v) ***जो आवेदक इस रिक्ति अधिसूचना की तारीख तक सीएसएल के रोल पर अनुबंध के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आवेदन करने केलिए पात्र हैं। जो लोग अनुबंध के पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में हैं वे आवदेन करने के पात्र नहीं हैं।***

vi) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

vii) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि केलिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

viii) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ix) **पद केलिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट **www.cochinshipyard.in**के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन प्रक्रिया की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी ।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट **(कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची**) को बार- बार देखें।

x) केवल आवेदन जमा करने, बुलावा पत्र जारी करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

xi) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

xii) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

xiii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

xiv) सीएसएल अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढाने/घटाने या किसी भी रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार रखता है।

xv) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल की ओर से निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।

xvi) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

xvii) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

xviii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

xix) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

xx) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

xxi) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व प्रशिक्षण)